

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय जबलपुर (म.प्र.)

[कार्यालय दूरभाष 0761-2991294, E-mail- dlsajbp@gmail.com, seedlsajbp@mp.gov.in]

क्रमांक / 1415 / स्थापना / जिविसेप्रा / 2025 /

जबलपुर, दिनांक 09/10/2025

= पुनर्संशोधित साक्षात्कार सूचना =

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अंतर्गत लीगल एड डिफेंस काउंसिल भर्ती - वर्ष 2025 के पदों के लिये अर्ह अभ्यर्थियों/अधिवक्ताओं का साक्षात्कार दिनांक 11/10/2025 को सुबह 10:30 बजे से सुनिश्चित किया गया था किन्तु माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर एवं मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर द्वारा उभरते क्षितिज : डिजिटल दुनिया में वाणिज्यिक और मध्यस्थता कानून में जटिलता और नवचार का ऑनलाईन उद्घाटन कार्यक्रम होने से एवं 10:30 बजे से जिला न्यायालय, जबलपुर की मासिक एजेण्डा मीटिंग होने से एवं सुबह 11:00 बजे से ई-कोर्ट ट्रेनिंग (ई.टी.सी.) होने से साक्षात्कार दिनांक 11/10/2025 को निर्धारित समय 10:30 बजे में परिवर्तन कर दोपहर 1:00 बजे से किया गया है :-

दिनांक 11/10/2025 दिन शनिवार समय दोपहर 1:00 बजे से	चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल,	16 अभ्यर्थी
	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल	29 अभ्यर्थी
	असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल	1 से 13 तक के अभ्यर्थी
दिनांक 12/10/2025 दिन रविवार समय प्रातः 10:30 बजे से	असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल	14 से 81 तक के अभ्यर्थी
स्थान :-	कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर जबलपुर (म.प्र.)	
नोट :- साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों/अधिवक्ताओं की सूची कार्यालय सूचना पटल एवं जिला न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।		

-: साक्षात्कार हेतु विशेष निर्देश :-

1. सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने मूल दस्तावेज (शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज, आधार परिचय पत्र, बार कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र) लाना अनिवार्य होगा।

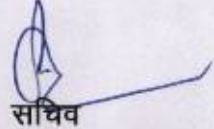
2. निर्धारित तिथि को आयोजित साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी साक्षात्कार प्रारंभ होने के 01 घंटे पूर्व कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर जबलपुर में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर आवश्यक मूल दस्तावेज मिलान करावें।

3. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय किसी भी प्रकार का मोबाईल, कैलकुलेटर तथा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण रखने की अनुमति नहीं होगी।

4. कमेटी अगर यह पाती है कि साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है अथवा मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है अथवा मूल दस्तावेज मिलान नहीं कराए गये हैं तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी तथा उसे साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

5. सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निर्धारित सूची के क्रमानुसार लिया जावेगा। अगर कोई अभ्यर्थी का नाम आने के बाद वह साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होता तो उसे साक्षात्कार के लिए अनुपस्थित माना जावेगा।

6. साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित होना होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का टी.ए./डी.ए. देय नहीं है।


सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक / / जिविसेप्रा / 2025
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक / 10 / 2025

01. अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति सिहोरा व पाटन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय जबलपुर की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जबलपुर (म0प्र0)